

..... के वें दिन निष्पादित किया गया यह समझौता नीचे उल्लिखित लॉकर के आवंटन की तारीख से शुरू या शुरू माना जाएगा।

लॉकर के आवंटन की तारीख:

LC कोड: _____

LG कोड: _____

ज्वाइंट हायरर के लिए लॉकर किराए पर लेने का समझौता

शाखा का नाम		शाखा कोड		लॉकर सीरीज और नंबर		चाभी नं:				
लॉकर साइज		शाखा शहर श्रेणी		संचालन का तरीका:						
किराया वसूली के लिए A/C		ग्राहक ID		वेवर %	प्रबंधित हायरर	पहला लॉकर के बाद वाला लॉकर	पहले हायरर का फोटो	दूसरे हायरर का फोटो	तीसरे हायरर का फोटो	
रैंक रेट		किराया चार्ज किया जाना है		छूट का कारण:						

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, (इसके बाद "बैंक" कहा जायेगा) जिसका पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल, फेज II, स्पेंसर प्लाजा, नंबर 769, माउंट रोड, अन्ना सलाई, चेन्नई 600002 में है, _____ (किराएदार/ओं की नाम और पता) _____

_____ (इसके बाद किराएदार/ओं कहा जायेगा) को किराए पर लॉकर देने के लिए सहमत है, और किराएदार/ओं किराए पर लेने के लिए सहमत हैं, RBI के दिशानिर्देशों और समय-समय पर बैंक के नियमों और रिर्वर्स पर उल्लिखित नियम और शर्तों के अधीन यहां, बैंक का लॉकर नंबर _____ ("लॉकर") इस तारीख से रुपये _____ प्रति वर्ष के किराए पर अग्रिम रूप से देय होगा। जब तक और जब तक यहां उल्लिखित नियम और शर्तों के अनुसार निर्धारित नहीं किया जाता है। किराएदार बैंक को लॉकर किराए की वसूली के लिए प्रत्येक वर्ष अग्रिम रूप से उपरोक्त खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है। उसके बाद, किराएदार बैंक के विवेक पर लॉकर किराए की वसूली के लिए हर साल अग्रिम रूप से उपर्युक्त खाते से डेबिट करना जारी रख सकते हैं। इसके बाद किराएदार बैंक के विवेक पर ऐसी अवधियों और ऐसे नियम और शर्तों के लिए और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दर/दरों पर किराए का अग्रिम भुगतान करके जारी रख सकते हैं।

लॉकर आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

स्थान:

नियम और शर्तें

- सुरक्षित जमा तिजोरी रविवार और बैंक अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन बैंकिंग समय के दौरान खुली रहेगी। उक्त दिनों और निर्दिष्ट समय के दौरान किराएदार/रॉ को लॉकर देखने की अनुमति दी जा सकती है।
- बैंक लॉकर देखने के लिए उपरोक्त समय को बदलने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसी शर्तें लागू सकता है जो वह उचित समझे, और इसके किराएदार को नोटिस देगा और किराएदार/रॉ को उन शर्तों का पालन करना होगा।
- किराएदार/रॉ को लॉकर देखने के संबंध में सभी नियमों और अधिनियमों का पालन करना होगा और किराएदार/रॉ या उसके/उनके एजेंट (यदि नियुक्त किया गया है) की पहचान करना होगा, जो समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। किराएदार अपने खर्च पर लॉकर में पैडलॉक लगाने या लॉकर में अतिरिक्त ताले लगाने के लिए स्वतंत्र होगा और चाबियों की सुरक्षित अभिरक्षा और इसके उपयोग के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा। हालांकि, लॉकर में पैडलॉक या अतिरिक्त लॉक लगाने की सुविधा तभी उपलब्ध कराई जाएगी, जब लॉकर में ऐसा करने का प्रावधान हो।
- संयुक्त किराएदारों के बीच किसी परस्पर विवाद की स्थिति में किराएदारों में से कोई भी लॉकर में संचालन बंद करने के लिए अनुरोध कर सकता है, हालांकि परिचालन निर्देशों में किसी भी बदलाव के लिए, सभी किराएदारों द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध को बैंक में जमा किया जाना चाहिए।
- यदि किराएदार लॉकर संचालित करने के लिए एक अधिकृत एजेंट नियुक्त करना चाहता है तो किराएदार/रॉ को ऐसे एजेंट के पक्ष में एक मुद्तानामा और या अन्य दस्तावेज़ निष्पादित करने चाहिए जो बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं और समय-समय पर बैंक द्वारा दिया गया नियमों और विनियमों और शर्तों का पालन एजेंट करेगा। हालांकि बैंक को किसी भी समय जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और न ही बैंक इस तरह के एजेंट को लॉकर तक पहुंच की अनुमति देने के लिए किसी भी दायित्व को वहन करेगा और किराएदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और किसी भी या सभी दावों से बैंक को हानिरहित रखेगा और बचाएगा और लॉकर के संचालन के संबंध में ऐसे एजेंट के कृत्यों के लिए बैंक के खिलाफ की गई मांगों से बचाएगा। बैंक अपने विवेक से ऐसे एजेंट को लॉकर तक पहुंच की अनुमति देने से भी मना कर सकता है।
- उत्तराधिकारियों/नामितियों/कानूनी उत्तराधिकारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के तरफ से होने वाले दावों के मामले में बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। यदि किराएदार लॉकर की सामग्री प्राप्त करने के लिए बैंक के नामांकन नियमों के तहत किसी व्यक्ति को नामित करता है, तो सामग्री को नामांकन निर्देशों के अनुसार और RBI द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार वितरित किया जाएगा।
- जब भी आवश्यक हो बैंक को लॉकर स्थिति और परिस्थिति की जांच करने के लिए और उसमें कोई मरम्मत/समायोजन करने के लिए लॉकर/रॉ तक पहुंच की अनुमति किराएदार देगा और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि लॉकर का उपयोग नियम और शर्तों के अनुसार रहा है। लेकिन बैंक को इसकी सामग्री के बारे में कोई जानकारी जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। तय किए गए सभी किराए अगली सुनिश्चित अवधि के लिए आने वाले अवधि के अंतिम दिन या उससे पहले स्वच्छी से अभिग्रहण रूप से देय हैं और बैंक लॉकर तक पहुंच से इनकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। लगातार तीन वर्षों की अवधि के लिए किराए का भुगतान न करने की स्थिति में, चाहे मांग की गई हो या नहीं या कोई बड़ा हुआ किराया बैंक (लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है) ऐसे किराए की राशि किराएदार/रॉ के खाते से डेबिट कर सकता है। किराए पर लेने वाले को बिना किसी और संदंभ के बैंक के साथ, जो इसके द्वारा बैंक को उसके / उसके खाते में डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है, जब भी किराया बकाया होता है और बैंक को देय होता है। किराए की बकाया राशि बैंक को तत्काल देय व्याज के साथ देय होगी जब तक कि पूरा भुगतान नहीं हो जाता। यह अधिकार बैंक के अधिकार पर कोई प्रभाव डाले बिना किराएदारों द्वारा व्याज सहित पूरे किराये के भुगतान तक गैर-भुगतान/किराए के कम भुगतान के लिए लॉकर को संचालित करने से रोकने का अधिकार होगा।
- लॉकर के किराए पर समय-समय पर लागू दर पर कर लगेगा।
- बैंक हमेशा अपने पूर्ण विवेक में किराए को संशोधित/बदलने का हकदार होगा और किराएदार बैंक द्वारा तय की गई तारीखों से उस किराए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- उनके द्वारा किराए पर लिए गए लॉकर की चाबी सभी संयुक्त किराएदारों को संयुक्त रूप से दी जाएगी। यह चाबी हमेशा बैंक की संपत्ति रहेगी। मास्टर चाबी हमेशा बैंक के पास रहेगी। किराएदार/रॉ द्वारा यह समझा जाता है कि लॉकर को दोनों चाबियों के द्वारा खोला जा सकता है न कि किसी एक चाबी से। और लॉकर को बंद करने के लिए मास्टर चाबी की जरूरत नहीं है। किराएदार/रॉ को लॉकर को केवल अपनी चाबी से संचालित करने की अनुमति है/हैं और बैंक द्वारा प्रदान की गई किराएदार की चाबी के अलावा अन्य किसी चाबी से लॉकर के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि किराएदार/रॉ द्वारा चाबी खो दी जाती है, तो उन्हें बिना किसी देरी के लिखित रूप में बैंक को चाबी के खो जाने की सूचना बैंक को देनी चाहिए और क्षतिपूर्ति देने के खिलाफ किराएदार/रॉ के बैंक को और पुलिस शिकायत को पुलिस द्वारा स्वीकार किया गया लिखित अनुरोध को एक नई चाबी जारी की जानी चाहिए। लॉकर को खोलने/तोड़ने, खोई हुई चाबी को बदलने और लॉकर को बदलने के लिए सभी शुल्क किराएदार द्वारा देय होंगे। लॉकर, ताले या चाबी की सभी आवश्यक मरम्मत बैंक द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा ही की जाएगी। किराएदार द्वारा लॉकर में लगाए गए किसी भी अतिरिक्त ताले के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। यदि किराएदार ने उनके द्वारा तय किए गए अतिरिक्त ताले से संबंधित चाबी खो दी है/खो गया है, तो बैंक किराएदार को ऐसे ताले को बदलने की लागत वहन करने के लिए कहेगा, यदि वह चाहे तो या अपनी लागत पर ताला खोलने का अनुमान लगा सकता है। किराएदार/रॉ के ऊपर दिए गए सभी दायित्व किराएदार/रॉ के लॉकर में लगे अतिरिक्त ताले या ताले की चाबी खोलने की स्थिति में लागू होंगे, जिसमें चाबी को तोड़कर खोलने और बदलने की लागत भी शामिल है।
- किराएदारों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने लॉकर की चाबी सुरक्षित जगह पर रखें और अपने लॉकर का नंबर और/या अपना पासवर्ड (यदि कोई दिया गया है) किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और साथ ही अपने विधिवत अधिकृत एजेंट (यदि नियुक्त किया गया है) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को लॉकर की चाबी नहीं दे। किराएदार/रॉ को लॉकर चाबी प्राप्ति की पावती देनी होगी और इस अनुबंध के समाप्त होने पर उसे बैंक को वापस देना होगा।
- किराएदार/रॉ के पास लॉकर में संपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन इस समझौते के दौरान और इसके नियम और शर्तों के अनुसार इसका उपयोग करने और उस तक पहुंचने का केवल एक विशेष अधिकार होगा। किराएदार/रॉ को लॉकर या उसके किसी भी हिस्से को असाइन, ट्रांसफर या सबलेट नहीं करना चाहिए, न ही दस्तावेजों, आभूषणों या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को रखने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए और इसका उपयोग किसी भी अन्य तरह के सामान जैसे की विस्फोटक या विनाशकारी या आपत्तिजनक प्रकृति की संपत्ति या एक प्रकार की संपत्ति जो बैंक की विचार में एक बाधा हो को जमा करने के लिए नहीं करना चाहिए।
- किराएदार इस बात से सहमत है कि वह लॉकर में कुछ भी अवैध, प्रतिबंधित या कोई खतरनाक पदार्थ नहीं रखेगा। यदि बैंक को संदेह होता है या उसे पता चलता है कि लॉकर में किसी किराएदार द्वारा अवैध, निषिद्ध, या खतरनाक पदार्थ जमा किया गया है, तो बैंक को ऐसे किराएदार के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जैसा वह परिस्थितियों में उचित और कानूनी रूप से सही हो।
- किराएदार/रॉ को इस प्रावधान के उल्लंघन में किराएदार/रॉ द्वारा लॉकर के उपयोग के कारण बैंक द्वारा की गई किसी भी मांग, दावे, हानि, नुकसान, लागत और व्यय के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करनी होगी। किराएदार बैंक द्वारा आवश्यक होने पर लॉकर की सामग्री का निरीक्षण करने की अनुमति देगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपरोक्त शर्तें पूरी हो गई हैं।
- किसी भी अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, जो बैंक के पास किराएदार/रॉ के खिलाफ हो सकता है, बैंक के एकमात्र विकल्प पर लॉकर के उपयोग के लिए किराएदार/रॉ के सभी अधिकार, किराए का भुगतान न करने पर जब्त कर लिए जाएंगे। तीन साल की लगातार अवधि, चाहे मांग की गई हो या नहीं और किसी भी अन्य देय और देय शुल्क, या किराएदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर और बैंक पंजीकृत डाक द्वारा तीस दिन पूर्व लिखित सूचना के बाद स्वतंत्र होगा किराएदार/रॉ का अंतिम ज्ञात पता, बैंक को किराया शुल्क का भुगतान करने के लिए उन्हें सूचित करना और अवसर प्रदान करना; किराएदार द्वारा निर्धारित किए गए अतिरिक्त ताले सहित लॉकर को तोड़ना और उसकी सामग्री को हटाना और उसे तब तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखना जब तक किराएदार/रॉ/नामित/जीवित लॉकर किराएदारों द्वारा दावा नहीं किया जाता। यदि किराएदार को जारी की गई मांग किराएदार को बिना डिलीवर किए वापस कर दी जाती है, तो बैंक दो समाचार पत्रों में प्रकाशन जारी करेगा, एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में; और बैंक लॉकर की सामग्री को हटाने के संबंध में उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन करेगा। यदि लॉकर सात वर्षों तक निष्क्रिय रहता है, और लॉकर-किराएदार का पता नहीं चल पाता है, भले ही नियमित रूप से किराए का भुगतान किया जा रहा हो, तो बैंक अपने नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को लॉकर की सामग्री के हस्तान्तरण की अनुमति देने या सामान की पारदर्शी तरीके से, जैसा भी मामला हो का निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में, बैंक अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा, यदि बैंक द्वारा लॉकर खोला जाता है और सामग्री को रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार कानून के अनुसार जारी किया जाता है। बैंक के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, लॉकर किराएदारों के नामित/उत्तराधिकारियों का पता या पता नहीं चल पाए की स्थिति में, बैंक लॉकर को तोड़ने के लिए यहां निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद खोलने के लिए स्वतंत्र होगा। एक लॉकर है और तीन साल की अवधि के लिए सामग्री को अलग से अपनी हिरासत में रखता है, किराएदार/रॉ/नामित/वारिसों से कोई दावा नहीं होने की स्थिति में, बैंक सार्वजनिक नीलामी या निजी संघि द्वारा सामग्री की नीलामी करेगा और धन को एक अलग स्थान पर रखेगा जो की खाता "लावारिस" के रूप में लॉकर नंबर, किराएदार ID और शाखा को दर्शाता है।
- यह अनुबंध तब तक वैध रहेगा जब तक किराएदार/रॉ द्वारा अनुबंध को समाप्त नहीं कर दिया जाता। बैंक प्रशासनिक कारणों से किराएदार को तीस दिन पूर्व लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है और किराएदार लॉकर की सामग्री को हटा देगा और लॉकर की समाप्ति के दिन या नोटिस के तहत अवधि से पहले बैंक को लॉकर की चाबी सौंप देगा। अगर किराएदार ने पूरे किराया शुल्क का अग्रिम भुगतान कर दिया है, तो बैंक लॉकर अवधि की शेष अवधि के अनुपात में किराएदार को किराया शुल्क वापस कर देगा, सरेंडर की तारीख के बाद के महीने से लॉकर की संख्या और उस महीने के लिए लागू शुल्क शामिल नहीं है जिसके दौरान लॉकर सरेंडर किया गया है। बैंक इस तरह की राशि को किराए पर लेने वालों के खाते में या प्राधिकरण के तहत किराएदारों में से एक को जमा करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- गंभीर या अत्यावश्यक आवश्यकता के कारण, बैंक ऐसी अवधि के लिए तिजोरी को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे और लॉकर तक पहुंच से इंकार कर सकता है, हालांकि, इसकापूर्व लिखित सूचना किराएदार को दिया जाना चाहिए।
- बैंक तिजोरी के दरवाजे या लॉकर को संचालित करने में विफल होने के कारण होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए भी उत्तरदायी नहीं होगा।
- बैंक के पास लॉकर को तोड़ने/इन्वेंट्री को लेने और/या किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को लॉकर और उसकी सामग्री को अपने अधिकार में लेने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा, जो कानून के न्यायालय के आदेशों या उनके द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करता है। किसी भी कानून और ऐसी स्थिति में बैंक लॉकर की सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लॉकर की चाबी खो जाने/खो जाने के कारण किराएदार द्वारा लॉकर खोलने का अनुरोध करने के मामले में, बैंक किराएदार से क्षतिपूर्ति लेने के बाद, और पुलिस शिकायत की प्रति प्राप्त होने पर संबंधित पुलिस द्वारा विधिवत स्वीकार करके, किराएदार/रॉ की कीमत पर लॉकर/लॉकरों को खोलने की व्यवस्था करेगा, हालांकि, यदि लॉकर संयुक्त रूप से एक से अधिक किराएदारों के साथ है, तो तोड़ने के समय सभी किराएदार मौजूद रहेंगे या लॉकर खोलने वाले या किराएदारों में से किसी एक के पास लॉकर खोलने के समय और उसके लिए अपने पक्ष में एक प्राधिकरण होना चाहिए। किराएदार या किराएदारों में से किसी एक द्वारा लॉकर/लॉकर खोलने का अनुरोध करने के मामले में बैंक जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा और न ही किसी किराएदार या किराएदार/रॉ में से किसी एक द्वारा लॉकर/लॉकर को तोड़कर खोलने के लिए अनुरोध की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए बाध्य होगा। इसके अलावा, बैंक किराएदार/रॉ को प्रदान की गई लॉकर सुविधा को वापस लेने का हकदार होगा यदि किराएदार/रॉ को इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन नहीं करते हुए पाया जाता है और इसके आगे, बैंक इसके द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करके लॉकर को खोलने का हकदार होगा।
- किराएदार/रॉ के पते में कोई भी परिवर्तन बिना किसी देरी के किराएदार/रॉ द्वारा लिखित रूप में बैंक को सूचित किया जाना चाहिए और बैंक द्वारा डाक द्वारा भेजे गए संचार की कोई सूचना किराएदार/रॉ के पंजीकृत कार्यालय में दर्ज की गई है तो बैंक की बहियों को विधिवत तामील किया गया माना जाएगा।
- इस समझौते की निरंतरता के दौरान, बैंक लॉकर की सामग्री के किसी भी नुकसान या गिरावट या क्षति के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे बारिश, आग, बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने, नागरिक हंगामा, युद्ध, दंगा या कोई अन्य कारण/कारण जो बैंक के नियंत्रण में नहीं है और लॉकर के बाहर कोई सामान छोड़ने या किराएदार की लापरवाही के कारण किसी भी कार्य को किराए पर लेने वाले को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।
- यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि बैंक और किराएदार के बीच संबंध मालिक और किराएदार का होगा और इस लॉकर किराए पर लेने के समझौते को जमानत के अनुबंध के रूप में तभी माना जाएगा जब लॉकर की सामग्री सूचीबद्ध हो और ज्ञात हो बैंक को किराएदार/रॉ द्वारा लिखित रूप में और बैंक द्वारा स्वीकार किया गया। लॉकर में सामग्री में कोई भी परिवर्तन बैंक को किराएदार द्वारा लिखित रूप में प्रदान किया जाएगा और बैंक द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- किराएदार पुष्टि करते हैं कि बैंक को लॉकर/लॉकरों की सामग्री के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए और किसी भी तरह से लॉकर/लॉकरों की सामग्री को बीमा के साथ कवर करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- किराएदार द्वारा बैंक के पास रखे गए लॉकर में सभी संपत्ति, बैंक के पक्ष में एक सामान्य गृहणाधिकार के अधीन है, यहां किराएदार/रॉ से बैंक को देय सभी धन के लिए ऐसी संपत्ति या उसके हिस्से को बेचने की शक्ति RBI द्वारा निर्धारित नियमों के साथ हो सकता है बकाया लेकिन भुगतान नहीं किए गए सभी पैसे की संतुष्टि में किया जाना चाहिए।
- हालांकि बैंक ऐसी सभी सामान्य सावधानियों का पालन करेगा, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे, लेकिन लॉकर में जमा की गई वस्तुओं के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायित्व या उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा। तदनुसार, किराएदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में बैंक के लॉकर में जमा मूल्य की किसी भी वस्तु को बीमा करा लें।
- किराएदार ऐसे नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत है, जैसा कि बैंक समय-समय पर निर्धारित करता है और किराएदार द्वारा लॉकर को किराए पर लेने के लिए अपनाया जाता है।
- किराएदार/रॉ को बैंक की क्षतिपूर्ति करनी होगी और बैंक को क्षतिपूर्ति की स्थिति में रखना होगा और हर समय और किसी भी नुकसान, जैसे की लागत, व्यय, कार्रवाई, कार्यवाही जो किराएदार/रॉ द्वारा किसी भी नियम और शर्तों के कारण बैंक के खिलाफ खर्च/पीड़ित या किए/ले जा सकते हैं से हानिरहित रखना होगा। आग, चोरी, संधारणी, लूट, डकैती, भवन परिसर को नुकसान, लापरवाही, और चूक/कमीशन या बैंक के कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होने वाली घटनाओं के मामले में, इस तरह के नुकसान को कवर करने के लिए बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार RBI की देयता होगी।

30. किराएदार/रों के बैंक में कोई अन्य खाता अर्थात् बचत खाता, चालू खाता आदि रखने की स्थिति में, और बैंक को किराए पर लेने का शुल्क अदा न करने की स्थिति में, बैंक ऐसे खाते से अर्जित किराए लागू व्याज सहित शुल्क के समतुल्य राशि को डेबिट करने का हकदार होगा। किराएदार/रों से देय किराया प्रभारों को विनियोजित करने का बैंक का अधिकार उन FD/ओं के तहत आय पर भी लागू होगा जो किराएदार/रों के पास बैंक के पास हो सकते हैं।
31. लॉकर के आवंटन के समय बैंक अपने विवेकाधिकार पर संयुक्त किराएदार/रों से लॉकर किराए के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में सावधि जमा प्राप्त करेगा। संयुक्त किराएदार/रों द्वारा लॉकर के किराए का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक के पास उक्त सावधि जमा पर गहणाधिकार और/या मुआवजा लेने का अधिकार होगा।
32. हम पुष्टि करते हैं कि हमें इस समझौते की एक प्रति प्राप्त हुई है। मैं/हम जानते हैं कि लॉकर समझौते के नियम और शर्तें, संशोधनों के साथ बैंक की वेबसाइट www.equitasbank.com पर दिखाई गई हैं।

**सिर्फ कार्यालय के उपयोग के लिए
(लॉकर का आवंटन)**

वसूल किया गया समानुपातिक किराया (₹.)	प्राप्त हुआ: CPU को भेजा गया:	द्वारा प्राधिकृत और सत्यापित:	लॉकर नंबर:	हस्ताक्षर सत्यापित (आचाक्षर):	लॉकर अभिरक्षक का नाम, हस्ताक्षर और कर्मचारी कोड	शाखा प्रबंधक/बैंकअप का नाम, हस्ताक्षर और कर्मचारी कोड

नामांकित व्यक्ति का फोटो।
(लॉकर किराएदारों के हस्ताक्षर)
या
यदि फोटो सबमिट नहीं किया
गया है तो फोटो क्षेत्र पर डबल
स्ट्राइक करें और हस्ताक्षर करें.

नामांकन: हां (यदि हां, तो कृपया नीचे नामांकन विवरण भरें) / यदि लागू न हो तो कृपया काट दें

संयुक्त किराएदार (राँ) के लिए नामांकन प्रारूप (फॉर्म SL1A) [पैरा 1 5.2(i)(a) देखें]

लॉकर के संबंध में संयुक्त किराएदारों द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45ZE और बैंकिंग (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 4(2) के तहत नामांकन

में, _____

(नाम और पता)

(नाम और पता)

हम में से एक या अधिक की मृत्यु होने पर निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करें _____

(उस शाखा/कार्यालय का नाम और पता जिसमें लॉकर स्थित है)

लॉकर तक पहुंच प्रदान कर सकता है और लॉकर की सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दे सकता है, जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं, हमारे उत्तरजीवी(यों) के साथ संयुक्त रूप से।

नाम, पता और संपर्क नं.	किराएदार के साथ संबंध, यदि कोई हो	उम्र	नामांकित व्यक्ति की जन्म तिथि (यदि अवयस्क है)

अभिभावक का विवरण (यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क है)

(नाम और पता)

गवाह(गवाहों) के नाम, पते और हस्ताक्षर

केवल अंगूठे के निशान/स्थानीय भाषा में घोषणा के मामले में

नामांकन: नहीं, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं नामांकन नहीं करना चाहता हूँ

मैं/हम किराएदार इस बात को स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि हमने पृष्ठ के ऊपर छपे नियम और शर्तें और नियमों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने और उसके अनुसार चलने के लिए सहमत हैं। बैंक द्वारा किराएदार/कों को सीलबंद स्थिति में सौंपी गई लॉकर संख्या _____ की चाभी संख्या _____ यहां दी गई है, जिसकी रसीद किराएदार द्वारा स्वीकार की जाती है। इस अनुबंध की विषय-वस्तु और पन्ने के ऊपर मुद्रित नियम और नियम और शर्तें किराएदार/राँ द्वारा पढ़ और समझ लिए गए हैं और पृष्ठ के ऊपर उल्लिखित प्रत्येक खंड से सहमत हैं और इसका पालन करने और इसके लिए बाध्य होने के लिए सहमत हैं। किराएदार/राँ के पास भी समझौते की एक प्रति और पन्ने के पीछे विस्तृत नियम और शर्तें हैं।

लॉकर आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक: _____

स्थान: _____

यहाँ से फाड़े

पावती -SL1A

यहाँ से फाड़े

हम आपके द्वारा _____ (नामांकित व्यक्ति का नाम)

के पक्ष में किए गए नामांकन की पावती देते हैं, _____ (नामांकित व्यक्ति का पता),

उम्र _____ वर्ष (नामित की आयु), आपके द्वारा किराए पर लिए गए लॉकर नंबर _____ के संबंध में।

नामांकित व्यक्ति का फोटो: सबमिट किया गया

सबमिट नहीं किया गया

आपका विश्वासी,

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ

सील

दिनांक: